

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विज्ञप्ति

सर्व सम्बन्धित के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि शासनादेश संख्या-1410/15-7-2013-1(18)/2013 शिक्षा-7 अनुभाग, लखनऊ दिनांक: 30 अगस्त, 2013 के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत शैक्षिक सत्र 2015-16 (परीक्षा वर्ष 2017) के कक्षा-9 एवं 11 के छात्र/छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण एवं वर्ष 2016 की कृषि भाग-एक की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कक्षा-11 के छात्र/छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण आवेदन परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा। परिषद द्वारा वर्ष 2017 की परीक्षा से नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्गत किया जायेगा। शेष अन्य विद्यालयों के गत वर्ष जारी किये गये यूजर आईडी एवं पासवर्ड यथावत रहेंगे।

शासनादेश संख्या-1450/15-7-2015-1(10)/2015 शिक्षा-7 अनुभाग, लखनऊ दिनांक: 03 अगस्त, 2015 के अनुपालन में अग्रिम पंजीकरण की संशोधित समय सारिणी निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

कार्य का विवरण	निर्धारित अन्तिम तिथि
1- कक्षा-9 एवं 11 में छात्र/छात्राओं के प्रवेश की अन्तिम तिथि	05 अगस्त, 2015 तक
2- परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल कम्पार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण एवं सन्निरीक्षा के फलस्वरूप हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कक्षा-11 में प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि।	20 अगस्त, 2015 तक
3- संस्था के प्रधान द्वारा कक्षा-9 एवं 11 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण शुल्क रु0 20/- (रुपये बीस मात्र) प्रति छात्र की दर से चालान के माध्यम से कोषागार में एकमुश्त जमा करने एवं जमा किये गये पंजीकरण शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	25 अगस्त, 2015 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
4- वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड किये गये छात्र/छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि) को भली-भांति चेक (जाँच) करने की अवधि। इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबन्धित रहेगा।	26 अगस्त से 05 सितम्बर, 2015 तक।
5- ऑनलाइन अपलोड किये गये छात्रों के विवरणों में जांचोपरान्त यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित/अपडेट करने की अवधि। इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किये जायेंगे।	06 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2015 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
6- संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं तत्सम्बन्धी कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि।	30 सितम्बर, 2015 तक।

(राजेन्द्र प्रताप)

अपर सचिव (प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या-मा0शि0प0/सिस्टम सेल/549 (1-14)

दिनांक: 4 अगस्त, 2015

- उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7 अनुभाग लखनऊ।
 - 2- शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0 शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
 - 3- अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 4- अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
 - 5- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
 - 6- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
 - 7- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
 - 8- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति अपने जनपद मे व्यापक रूप से प्रसारित करायें। संस्था के प्रधान द्वारा सभी अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क का कोषपत्र 5 प्रतिथों में तैयार करके अपने ही जनपद के कोषागार में जमा किया जायेगा। कोषपत्र की दो प्रति कोषागार में, एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, एक प्रति नामावली के साथ परिषद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति संस्था के प्रधान द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समस्त संस्था से संकलित कोषपत्रों का सत्यापन अधिकतम एक माह के अन्दर कोषागार से कराया जायेगा, सत्यापन की वस्तुस्थिति/संस्तुति से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव/सचिव को अवगत कराया जायेगा। संस्था के प्रधान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात वेबसाइट से डाउनलोड की गयी नामावली तथा कोषपत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा की जायेगी।
 - 9- अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/इलाहाबाद/वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।
 - 10- निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ/इलाहाबाद/गोरखपुर तथा नजीबाबाद केन्द्र को प्रादेशिक समाचारों के अन्तर्गत प्रसारित कराने हेतु।
 - 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 12- प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपर्युक्त विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
 - 13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 14- निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, 24 अशोक मार्ग लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि कृपया व्यापक लोकहित मे इस विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रसारित करने का कष्ट करें।

(राजेन्द्र प्रताप)
अपर सचिव (प्रशासन)

